भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र संख्या–8बी/यू.पी./09/40/2019/एफ.सी./263 दिनॉक: 21.08.2019

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),
उत्तर प्रदेश शासन,
बापू भवन, लखनऊ।

(आनॅलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/Others/31584/2018)

विषय:जनपद–आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 02 के किमी0 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बांयी पटरी के किनारे गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.584 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश का पत्रांक–1747/81–2–2019–800(14)/2019, लखनऊ, दिनांक–08.08.2019.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विषेष सचिव, उ0 प्र0 का पत्रांक–पी–6/14–2–2019–800(14)/2019, दिनांक–14.05.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

केन्द्र सरकार जनपद–आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा–कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 02 के किमी0 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बांयी पटरी के किनारे गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.584 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात् (0.584 x 2= 1.168 ha.) 1.168 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी।

3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जायेगी।

   (ख) इसके उपरान्त ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से जमा की गयी धनराशि की ऑनलाईन ई–रसीद की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि का विवरण, दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

   (ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर द्वारा) प्रस्तुत करेंगे कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

4. विधिवत् स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे (forward)एवं पीछे (backward) उनकी दिशा (bearing) भी लिखनी होगी।

5. अपयोजित वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा और नहीं किसी एजेंसी को हस्तान्तरित किया जाएगा।

6. प्रस्ताव के लिए स्वीकृत ले आउट प्लान (layout plan) में कोई परिवर्तन बिना अनुमति मान्य नहीं होगा।

7. पाईपलाईन बिछाने के बाद गढ्ढा भरान प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

9. परियोजना के कार्यान्वयन में न्यूनतम एवं अपरिहार्य वृक्षों का ही पातन किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो नियमानुसार प्राप्त किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

12. सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना प्रेषित करते हुए संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के विषय में सूचना/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे।

13. निकटतम क्षेत्रों में वन एवं वन्य प्राणी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या एवं/वचनबद्धता प्रमाण पत्र जो लागू हो, प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी।

भवदीय,

(के0 के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अपर वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
4. जिलाधिकारी, आगरा।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।
6. उप महाप्रबंधक, ग्रीन गैस लि0, संजय प्लेस, आगरा।
7. पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रत्रावली।

(के0 के0 तिवारी)
उप वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}